[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

और मुसीबतें बर्दाश्त कीं, कई प्रकार के त्याग और कुर्बानियों कीं, फिजीकल टार्चर बर्दाश्त किया, उन के परिवार वालों को भी अनगिनत कष्ट और असुविधायें सहनी पड़ीं । आज हमें उन लोगों को याद रखना चाहिये । चाहे मेरी आवाज कितनी छोटी हो, मैं उन के प्रति अपना सम्मान और श्रद्धा अर्पित करती हूं । मैं अपने राष्ट्र से कहना चाहती हूं कि उन लोगों के लिए, या उन के परिवारों के लिए, हम जो कुछ भी करें, वह उन की सेवाओं की तुलना में यथेष्ठ नहीं हो सकता है । उन लोगों की जो-जो मांगें हैं, उन को सौ फीसदी पूरा करने का प्रयास करना चाहिये ।

ARREST OF MEMBER

SHRI KIKAR SINGH

MR. SPEAKER : I have to inform the House that I have received the following wireless message, dated the 6th August, 1968 from the Superintendent of Police, Bhatinda :—

"Shri Kikar Singh, Member, Lok Sabha, and resident of Haji Rattan, has been arrested *vide* D.D.R. No. 28, dated the 5th August, 1968 under Sections 107/151 Criminal Procedure Code."

HALF-AN-HOUR DISCUSSION.—*Contd.*

HOMES FOR FREEDOM FIGHTERS IN WEST BENGAL—*Contd.*

श्री रबि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुचेता कृपलानी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस आध घंटे की चर्चा के जरिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के वीर सेनानियों के पुनर्वास का सवाल उठाया । जब मैं उन का भाषण सुन रहा था, तो मुझे इस बात पर शर्म महसूस हो रही थी कि सरकार ने स्वयं इस बारे में कोई कदम क्यों नहीं उठाया, जिस के कारण माननीय सदस्या को यह बहस उठाने की आवश्यकता पड़ी । अध्यक्ष महोदय, हम लोग आप के नेतृत्व में सोवियत यूनियन गये थे । वहां के लेनिनग्राड शहर का हिटलर की नात्सी सेनाओं ने 900 दिन तक सीज किया था । उस शहर की रक्षा करते हुए लाखों की तादाद में जो वीर सेनानी मृत्यु को प्राप्त हुए, आप के नेतृत्व में हम लोग उन के कबरिस्तान को देखने के लिये गये थे । उस को देख कर हम लोगों के मनों पर यह प्रभाव पड़ा कि सोवियत यूनियन की सरकार और जनता किस प्रकार अपने राष्ट्रीय युद्ध के वीर सेनानियों का सम्मान और आदर करती है । लेकिन हिन्दुस्तान के स्वतन्त्रता संग्राम में हमारे जिन क्रान्तिकारियों ने त्याग और कुर्बानियां कीं और वीर गति पाई, हमने कलकत्ता, बम्बई या लखनऊ आदि किसी भी स्थान पर उन का कोई स्मारक, या उन की स्मृति में कोई म्यूजियम नहीं बनाया ।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज ही इस सदन में पार्लियामेंट के मेम्बरों को तन्ख्वाह, भत्ते और अन्य सुविधायें बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा गया है । सुरेन्द्र बाबू ने कहा कि मंत्रियों को जो तन्ख्वाह, भत्ता और आराम मिलता है, अब पार्लियामेंट के मैम्बरों को भी वही मिलेगा । हम को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग अपने वेतन, सुविधायें और शानो-शौकत को बढ़ाने के लिए तो प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में जिन क्रान्तिकारियों ने त्याग और कुर्बानियां कीं, उन के बारे में न तो हमें फिक्र है और न सरकार को फिक्र है ।

इस लिए यह सारे सदन का सवाल है, सारे राष्ट्र का सवाल है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री, श्री शुक्ल इस सदन को यह आश्वासन दें कि हमारे जो क्रन्तिकारी बारह, पन्द्रह या बीस साल की कैद काट चुके हैं और जिनकी उम्र साठ साल से ज्यादा हो गई है उन के लिए पेन्शन और मैडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था की जायेगी । जिन लोगों ने देर से शादी की,

उन के बाल-बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिए । खास तौर से शहीद भगतसिंह की मां और जितेन मुखर्जी की बीबी की देख-भाल करने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए । मंत्री महोदय यह भी आश्वासन दें कि यह मामला राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जायेगा, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मसला है, राष्ट्रीय सवाल है और ये लोग राष्ट्र के वीर हैं ।

उड़ीसा में 1942 की क्रान्ति में भाग लेने के आरोप में कोरापुट के लक्ष्मण नायक को, जोकि आदिवासी युवक थे, बहरामपुर जेल में फांसी पर लटकाया गया था । ऐसे लोगों को भी याद रखना चाहिए और उन के परिवार के सदस्यों की यथासम्भव सहायता करनी चाहिए । मंत्री महोदय इस काम के लिए कोई फंड बनायें । इस की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए । यह काम राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ना चाहिये ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, चन्द्र शेखर आजाद फांसी के तख्ते पर चढ़ गये लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि उन की मां भीख मांगती थी । यह हमारे लिये शर्म की बात है । देश आजाद हो गया और जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी वे फाकाकशी की नौबत पर आ गए और दर-दर मांग रहे हैं, यह हमारे लिए बड़ी खराब बात है । अभी दिल्ली में मद्रास के एक क्रान्तिकारी जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, रंगाचार्य, पूरा नाम मैं बाद में बता दूंगा, वह यहां पर हैं और ठोकर खा रहे हैं, दर-दर मारे-मारे फिर रहे हैं । उन के मुताल्लिक नेशनल हैराल्ड में तफसील से बातें निकली हैं । उस कटिंग को अपने खत के साथ मैं ने गृह-मंत्री के पास भेजा है कि आप इस पर गौर करें, मद्रास सरकार कुछ नहीं करेगी । जहां तक मुझे मालूम है वह दरख्वास्त शुक्ल जी के पास पहुंच गई है । लेकिन अभी भी कोई कार्यवाह नहीं की । यह हमारे लिए शर्म की बात है कि ऐसे लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनकी हम देख-भाल भी नहीं कर सकते । आज वह क्रान्तिकारी कोई कहीं पड़ा है तो कोई कहीं । तो सुचेता जी का जो कहना है उनके लिए घर बनाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए । जितने भी इस तरह के क्रान्तिकारी हैं सबों के लिए हो जाय तो अच्छा है नहीं तो एक रेवोल्यूशनरी आश्रम के रूप में चाहे बंगाल में हो या बिहार में हो तीन-चार जगह हिन्दुस्तान में यह आश्रम बना दिए जायं और सरकार यह एलान कर दे कि जो पुराने क्रान्तिकारी और सेनानी हैं वह लोग यहां सब आयें, उन की देख-भाल के लिए यहां पर इन्तजाम है । यह आश्रम सरकार बनाए ।

तीसरी बात यह कि हालांकि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस सिर्फ हिन्दुस्तान के ही नहीं, सब के थे, लेकिन उन का परिवार आस्ट्रिया में है । भले ही वह अपनी जिन्दगी वहां गुजारते हैं । लेकिन हमारे लिए गर्व की बात होगी यदि हम उन्हें दावत दें कि वह हिन्दुस्तान आयें और उन के लिए रहने की कुछ व्यवस्था हम करें । एक म्यूजियम की बात यहां चल रही है । लेकिन आज उनका परिवार हमारे बीच हिन्दुस्तान में और दिल्ली में आ जाता है तो हम उनको देख कर गौरवान्वित होंगे और फूले न समाएंगे। आने वाली औलाद उस से प्रेरणा लेगी । मैं तो चाहूंगा कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार को यहां सरकार बुलाए, बाकायदा उन को निमंत्रण दे और कहे कि वह हिन्दुस्तान आयें, उन की देख-भाल की पूरी जिम्मेदारी सरकार ले ।

इसी तरह से और भी दूसरे प्रान्तों में क्रान्तिकारी लोग हैं, बिहार में हैं, पंजाब में तो बहुत से हैं । वहां पर बहुत से पुराने क्रान्तिकारी अभी तक हैं । लेकिन चूंकि देश के लिए वह लड़े और अब वह नहीं चाहते

[श्री शिव चन्द्र झा]

हूं कि किसी पर मुनहसिर करें इसलिए उन की आर्थिक हालत खराब है। तो ऐसे जितने क्रान्तिकारी पड़े हूं उन के आंकड़े सरकार इकट्ठा करे, उन का नक्शा बनाए, उन के लिए एक रेवोल्यूशनरी आश्रम बनाए और फिर उन के रहने खाने का सब का इन्तजाम सरकार करे इन बातों के मुताल्लिक में सरकार से आश्वासन चाहता हूं।

MR. SPEAKER: Shri Shinkre.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna): Sir, our Government is against all violent revolutions.

श्री शिकरे (पंजिम) : बड़े दुर्दैव की बात है कि जिस का विचार हम लोगों को 20 साल पहले करना जरूरी था, वह हम आज कर रहे हैं.......

SHRI J. B. KRIPALANI: Time barred.

SHRI A. K. SEN (Calcutta North West): Never too late.

श्री शिकरे : दुर्दैव की बात तो यही है। आज हम अगस्त महीने में हूं और अगस्त महीना तो हमारे भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिया जा सकता है। मैं कहूंगा कि जो काम हम ने बीस साल पहले नहीं किए, जो काम हम ने पांडिचेरी और माही के बारे में दस साल पहले नहीं किए और जो काम हम लोगों ने गोवा के बारे में और डामन ड्यु के जो क्रान्तिकारी लोग थे, सत्याग्रही थे, उन के लिए नहीं किया, वह करने का मौका आज आया है। इस मौके पर इस काम के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक कमेटी का नियुक्त किया जाना जरूरी है। आज हम गोवा में देखते हूं कि स्वातन्त्र्य वीर जो होते हूं उनको पुलिस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आठ वर्ष पहले पुर्तगाली सत्ता से हम लोगों ने संघर्ष किया था। उस समय जो अधिकारी थे वही अधिकारी आज हम लोगों को सर्टिफिकेट देते हूं या देने से इन्कार करते हूं और जो कमेटी वहां नियुक्त की जाती है वह उन पर ज्यादा भरोसा रखती है न कि उनके ऊपर जिन नेताओं के साथी वह कार्यकर्ता थे। ऐसी कमेटियां बेकाम बनती हैं।

ऐसी एक घटना गोवा में घटी कि एक क्रान्तिकारी सैनिक थे जिनका नाम कमलकान्त खलप था जिन्होंने 1954 में काम किया, वे पकड़े गये उनको दस महीने की सजा हो गई। जब गोवा स्वतन्त्र हुआ और पोलिटिकल सफरर्स की लिस्ट बनाई गई तो उस कार्यकर्त्ता का नाम उस लिस्ट में नहीं रखा गया और उसका कारण यह दिया गया कि उनको जो सजा हुई थी वह जिसके लिए हुई थी वह तो कार्य उन्होंने अपने धंधे के तौर पर किया। वहां जो मिलिट्री ट्रिब्युनल गोवा का था जहां ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही होती थी उसके सामने उन्होंने एक स्टेटमेन्ट दिया था कि उन्होंने जो लिट्रेचर क्वीट गोवा मुवमेन्ट का डिस्ट्रीब्यूट किया था वह पैसा लेकर किया था। अब आप जानते हूं भूमिगत जो कार्यकर्त्ता रहते हूं उनकी ऐसी नीति रहती है कि "बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, और बचेंगे तो दूसरों को भी सहायता करेंगे"। इसीलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेन्ट दिया था। लेकिन पुर्तगाली न्यायकर्ता मिलिट्री ट्रिब्यूनल के जो थे उन्होंने उनको दस महीने की सजा दी मगर आज के जो अधिकारी हूं वह कहते हूं कि उन्होंने जो स्टेटमेन्ट दिया उससे सिद्ध होता है कि यह काम उन्होंने अपने धंधे के तौर पर किया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई कमेटी बनाई जाये जिसमें हर एक राज्य के अन्दर केवल पुलिस की जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर भरोसा न रखने वाले सदस्य, अनुभवी कार्यकर्ता और नेता हों। वह जो कमेटी हो जिसमें हर राज्य के प्रतिनिधि रहें लेकिन वे ऐसे

हों कि जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वयं भाग लिया हो। उनके कहने पर किसी को पोलिटिकल सफरर माना जाये। ऐसी एक कमेटी बनाकर अखिल भारत के जो पोलिटिकल कार्यकर्ता थे उनकी एक लिस्ट बनाई जाये और फिर उनकी सहायता करने के लिए सरकार कोई कदम बढ़ाये।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : स्पीकर महोदय, जो देश, जो कौम अपने देश भक्तों को अपने देश पर मरने वाले परवानों को भूल जाती है वह कौम कमजोर हो जाती है। सुचेता बहन ने देश पर अहसान किया है कि यह डिस्कशन यहां पर उठाया। 26 हजार के करीब सारे देश में आई० एन० ए० के ऐसे जवान थे जो देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए। पहली लड़ाई में, दूसरी लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में और चीन का जो एग्रेशन हुआ उसमें जो फौजी मरे उनके लिए अमूमन दो हजार, पांच हजार, दस हजार रुपया उनके खानदान को आप ने दिया। में आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि जो देश की आजादी के जंग में आई० एन० ए० के 26 हजार जवानों ने अपने खून की आहुति दी, जान की बाजी लगाई, अपना खून दे दिया देश की आजादी के लिए, उनकी फैमिलीज को किसी किस्म की कोई मदद आपने दी ? जो आदमी बहादुरी करते थे अंग्रेज के वक्त में, उन फौजियों को मूरब्बों में जमीन मिलती थी, मैं पूछना चाहता हूं कि 26 हजार जवान जो ये बलिदान हुए उनमें से किसी के भाई, चचा या माता को कोई भी जमीन बतौर नमूने के भी आपने दी ताकि देश का मोरेल बने ?

दूसरी बात में यह पूछना चाहता हूं कि जैसे इंडिया गेट है, विक्ट्री टावर है जो अंग्रेजों के वक्त में पहली जंग में काम आये या 1857 में जो अंग्रेजी की मदद में काम आये उनकी बाकायदा यादगार है। लेकिन हमारे देश के लिए जो इतने लोग हर सूबे में और देश के बाहर कुर्बान हुए, अपने देश की आजादी के लिए, क्या उनकी यादगार कायम रखने के लिए कोई मेमोरियल टावर बनाने का इरादा सरकार रखती है ? उनकी यादगार को पर्पेचूएट करने के लिए ?

18.00 Hrs.

आखरी बात जो मैं पूछना चाहूंगा वह यह है कि जिस तरह से आज कल सरकार हमारे फौजियों के लिये, जो हमारे बार्डर्स पर रक्षा करते हैं, उन के बच्चों की देखभाल के लिये, उन की एजुकेशन के लिये, मैडिकल फैसिलिटीज के लिये इन्सैन्टिव देती है, उसी तरह से उन लोगों के लिए जिन्होंने देश की आजादी के लिये कुर्बानी दी है, उन के बच्चों के लिये, उन के बाप के लिये, उन की औरत के लिये, उन के परिवार को मेन्टेन करने के लिए क्या कोई परमानेंट स्कीम, टेम्परेरी नहीं, 30 रु० एड-हाक दे दिये, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की तरफ से स्टेट हुकूमतों के पास भेजी जायगी ताकि उन लोगों के परिवारों के लिये जिन्होंने देश भक्ति का इन्कलाबी माहौल पैदा किया, उन के परिवारों का परमानेन्ट और मेन्टेनेन्स का इन्तजाम हो सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुचेता जी हम सब के धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने इस प्रश्न को आज इस सदन में उठाया और इस बात का मौका दिया कि इसके सम्बन्ध में हम लोग कुछ कर सकें। हजारों-लाखों व्यक्ति हमारे देश में स्वतन्त्रता संग्राम में सम्मिलित हुए तथा उन में से अधिकांश ऐसे स्वाभिमानी लोग हैं जो किसी भी तरह की सहायता के लिये अपना हाथ नहीं पसारना चाहते हैं, न सहायता मांगते हैं। कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिन्हें परिस्थितिवश या जिनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि जिससे मजबूर हो कर उनको सहायता मांगनी पड़ी या जब उन के बच्चों या उनके परिवार के सदस्यों पर तकलीफ पड़ी तो उन को मजबूरी में पड़कर सहायता के लिये हाथ पसारना पड़ा।

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन सब लोगों की देशवासियों के द्वारा या सरकार के द्वारा जितनी सहायता होनी चाहिये थी, वह नहीं हो सकी। यह दुख की बात है कि जितनी सहायता हमें इन सब को देनी थी, जितना मान-सम्मान उनका करना था, उतना हमारे देश में नहीं हुआ। तो भी थोड़ा बहुत जो कुछ इन के लिये किया गया है, उस से उनकी थोड़ी तकलीफें जरूर दूर हुई हैं। उन के परिवार के सदस्यों को कुछ सुविधायें दी गई हैं, पढ़ने-लिखने की सुविधा मिली, नौकरी में सुविधा मिली। मैं इस के आगे अब जो कुछ भी कहूंगा हमें उस को इसी पृष्ठ-भूमि से देखना चाहिये कि जितना हम लोग कर सकते थे उतना नहीं किया गया और अब जबकि हम देखते हैं कि बहुत से स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की उम्रें बढ़ती गई हैं, बहुत लोग इतने बूढ़े हो चुके हैं जो अपनी देख-भाल नहीं कर सकते अपने परिवार की सदस्यों को देख-भाल नहीं कर सकते—आज उन को सहायता की ज्यादा आवश्यकता है, बजाय उस वक्त के जबकि उन का स्वास्थ्य अच्छा था, उम्र कम थी।

इन सब प्रश्नों पर 1950 से इस सदन में कई बार विचार हो चुका है। तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में अपने विचार सदन में व्यक्त किये थे। उन्होंने यह भी कहा था—यद्यपि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक सरकार की सहायता पर जिन्दा नहीं रहना चाहते और न यह सहायता लेना उनके स्वाभिमान के हित में है, तो भी हम लोगों का कर्त्तव्य है कि हम जितनी भी सहायता उन की कर सकें, अवश्य करें। जब इस प्रश्न पर मंत्री-मंडल में विचार हुआ, तब यह तय किया गया कि जिनको विभिन्न प्रकार की रिलीफ देने का सवाल है, जमीन देने का सवाल है, मैडिकल फैसिलिटीज का सवाल है, शिक्षा का सवाल है या बहुत से अन्य सवाल हैं जिनका स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों या उनके परिवार के सदस्यों से सीधा सम्बन्ध पड़ता है, उन का सीधा सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। इसलिये यह काम राज्य सरकारों के जिम्मे लगाना चाहिये ताकि वे हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों और उन के परिवारों की सहायता करें तथा उन की देख-भाल करें। इस सब को दृष्टि में रखते हुए नीति निर्धारित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने अपने पास रखा तथा उन नीतियों के अन्तर्गत काम करने की जो बात थी, वह राज्य सरकारों को सौंप दी गई। करीब करीब हर राज्य सरकार ने इस के बारे में अपनी योजनायें बनाई और उन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता भी दी। अभी जैसा सुचेता जी ने कहा कि इस में भी भेदभाव किया गया, किन्हीं को ज्यादा सहायता दी गई, किन्हीं को कम दी गई और किन्हीं को बिलकुल नहीं दी गई। यह दुख की बात होते हुए भी—यह बात सच जरूर है कि ऐसा हुआ।

इस के बाद फिर यह सोचा गया कि केन्द्रीय सरकार के पास भी कुछ-न-कुछ ऐसे साधन रहने चाहिये कि ऐसा कोई राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति हो, जिस को कि जितनी सहायता मिलनी चाहिए थी, उतनी न दी गई हो, तो राज्य सरकारों के अवाला केन्द्रीय सरकार भी कुछ सहायता दे सके। एक डिस्क्रीशनरी फण्ड गृह मंत्री जी के लिये बनाया गया और उस में से हम लोग समय-समय पर राजनीतिक पीड़ितों को यहां से एड-हाक रूप में कुछ सहायता देते रहते हैं। इस के साथ-साथ समय-समय पर हम लोग राज्य सरकारों को भी लिखते रहते हैं और आग्रह करते रहते हैं कि जितनी भी अधिक-से-अधिक सहायता हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की हो सके, उन्हें करनी चाहिये। देश के विभिन्न भागों से हमारे पास शिकायतें भी आती हैं, उन के प्रति हम लोगों ने राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करते हैं और अधिकांश मामलों में हमें सफलता मिलती है और हम उन

सेनानियों को कुछ सहायता दिलवा सके हूं और उनकी तकलीफों को कम कर सके हूं ।

अभी जो प्रश्न अण्डमान-निकोबार के बारे में उठाया गया—इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अण्डमान-निकोबार में हमारे जितने भी क्रान्तिकारी रहे हैं, उन्होंने देश की बहुत बड़ी सेवा की है, लेकिन मैं नहीं समझता कि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों में किसी तरह का कोई वर्गीकरण करना चाहिये । सब लोगों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने दल के अनुसार देश की सेवा की, यह दूसरी बात है कि कुछ लोग ज्यादा कर सके और कुछ लोग कम कर सके । सब लोगों ने अपनी शक्तिभर, योग्यता भर, देश की सेवा में, स्वतन्त्रता संग्राम में अपना योगदान करने का यत्न किया । इसलिये इन को किसी खास वर्गीकरण या कैटेगरी में रखने की बात को मैं उचित नहीं समझता । मुझे तो यह ठीक लगता है कि हर स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी को समान रूप से आदर और सम्मान मिलना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ जो एक आवास गृह बनाने का प्रयत्न पश्चिमी बंगाल की सरकार ने किया है, वह बहुत अच्छा प्रयत्न है । हम लोगों ने यह तय किया है कि हम अन्य राज्य सरकारों को भी लिखेंगे कि इस तरह के जो हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक हैं जिनकी देख-भाल करने वाला कोई नहीं है, जिनके परिवार में कोई नहीं है, जिनकी उम्र बहुत बढ़ चुकी है, उन की देख-भाल के लिये वे भी विचार करें कि क्या वे भी अपने यहां ऐसा घर बना सकते हैं ।

जहां तक सुचेता जी ने यह प्रश्न उठाया कि घर तो बन जायगा, लेकिन इस में रहने के बाद उन के खाने-पीने, उन की सुख-सुविधाओं का क्या इन्तजाम किया जायगा—इस के बारे में इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है, परन्तु यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इस के सम्बन्ध में हम लोग पश्चिमी बंगाल सरकार से पत्र-व्यवहार कर के पता लगायेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि उन के लिये सन्तोषजनक इन्तजाम हो, कोई ऊपरी दिखावे की बात न हो तथा असली तौर से इन लोगों को वहाँ पर सुख और सुविधा मिले ।

इसी तरह से जहां तक स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात है, कई बार यह मांग की गई है तथा प्रधान मंत्री जी को जो ज्ञापन दिया गया है, उस में भी यह मांग की गई है कि बहुत से हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, आज उनकी उम्र इतनी बढ़ चुकी है, उनकी देख-भाल करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिये जिस तरह से हम लोग सरकारी नौकरी को या संसद्-सदस्यों को ज्यादा-से-ज्यादा सुविधायें देते हैं, उसी तरह की सुविधायें उन्हें भी मिलनी चाहिये । मैं समझता हूं कि यह मांग बिलकुल जायज है, इसके लिये पूर्ण रूप से कोशिश करनी चाहिये । जब मैंने इस के बारे में पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ राज्य सरकारों ने इस तरह के निर्देश जारी कर दिये हैं, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह का निर्देश जारी किया है और वहां पर स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को इस तरह की सहायता सरकार की तरफ से मिलती है । हम लोग इस बात का प्रयत्न करेंगे कि बाकी राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसे ही निर्देश जारी किये जायं जिससे कि इस तरह की सुविधायें दूसरे राज्यों में भी हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को मिल सकें ।

SHRI J. B. KRIPALANI: Will the Centre do nothing about it?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सवाल है, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि हमारी व्यवस्था इस प्रकार

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

है कि ये सब काम हमें अपनी ऐजेन्सियों द्वारा ही कराना होगा, सीधे हम लोग इस में कुछ नहीं कर सकेंगे, राज्य सरकारों के द्वारा ही इन कामों को कराना होगा। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, जमीन देने के सम्बन्ध में, पेन्शन देने के सम्बन्ध में—ये सब काम राज्य सरकारें करेंगी, हम लोग उन को वित्तीय सहायता देते हैं। शिक्षा की सुविधा दी जाती है, स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के बच्चों को स्कालरशिप दिये जाते हैं, यूनियन टैरिटरीज में शतप्रतिशत यह काम हम लोग करते हैं।

और दूसरे राज्यों में उसका आधा भाग वहन करते हैं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : रेफ्यूजी रिहिबिलिटेशन स्टेट्स ने किया है, उसकी पूरी जिम्मेवारी सेन्टर की थी। क्या इसी तरह के आप करने को तैयार होंगे ?

SHRI A. K. SEN: May I suggest also that a committee may be set up with same Members of Parliament?

MR. SPEAKER: This has been suggested many times in this House.

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसके बारे में मैंने कहा कि राज्य सरकारों ने मान लिया कि आधा वे स्वयं देंगी और आधा हम देंगे। इस बात का समझौता हो चुका है। यदि राज्य सरकारें कह देतीं कि वे एक पैसा देने के लिये तैयार नहीं हैं तो हम केन्द्र से पैसा देते लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि आधा पैसा देंगे इसलिए आधा पैसा यहां से दिया जाता है और उसी के अनुसार काम करने का यत्न किया जाता है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : काम अनसेटिस्फैटरी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (बलरामपुर): क्या यह सब काम ठीक चल रहा है और कमेटी की जरूरत नहीं है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप शायद देर से आये हैं इसीलिये इस तरह की बात कह रहे हैं। आपने पहले की बात सुनी नहीं या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। इस के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि काम ठीक नहीं चल रहा है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : आप एक अच्छी-सी कमेटी बना दें जोकि जाब्ते से इस पर विचार करे और आपको सुझाव दे।

SHRI A. K. SEN: We want a Committee with Mrs. Sucheta Kripalani as Chairman.

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो कमेटी का सुझाव दिया गया है उस के ऊपर विचार कर लिया जायेगा। अगर कमेटी बनाने की आवश्यकता हुई तो कमेटी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पहले इस पर विचार कर लिया जाये और उसके बाद जरूरत महसूस की जाये तो उस पर भी विचार करेंगे।

एक प्रश्न उठाया गया इंडियन नेशनल आर्मी के सिविल एम्प्लाईज के बारे में। इस के बारे में सूचना नहीं है लेकिन पता लगायेंगे कि किस तरह की समस्या है और क्या किया जा सकता है।

श्री शिव चन्द्र झा ने मद्रास के केस के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। वह बड़ा पुराना प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, शायद आप भी जानते होंगे, उनका नाम है श्री विजयराघवाचारी। उन्होंने बहुत दिनों से पत्र-व्यवहार किया है। मैं समझता हूं उन को हजारों रुपए की सहायता केन्द्र से समय-समय पर दी गई है। उन्हें मद्रास सरकार की तरफ से पेंशन भी मिलती है। अभी कुछ कारणों से शायद उनकी पेंशन बन्द कर दी गई है और उसके सम्बन्ध में आपने हमारे पास जो केस भेजा उस पर हम ने तात्कालिक कार्यवाही की। मद्रास सरकार के पास केस भेजा है और मैं आशा करता हूं कि सद्भावनापूर्वक वे इस केस पर

विचार करेंगे और देखेंगे कि इस में क्या हो सकता है ।

शिकरे साहब ने गोवा के सम्बन्ध में कहा......

SHRI SAMBASIVAM (Nagapattinam): At present in Madras State, DMK is the party in power. They do not have faith in independence.

MR. SPEAKER: Do not bring in all that. He is replying for the Government.

श्री विद्याचरण शुक्ल : गोवा के बारे में आपने जो कहा उस प्रश्न के ऊपर भी मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और यदि उस में कुछ करने की आवश्यकता हुई तो मैं आप को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं जरूर कुछ कार्यवाही करने का यत्न करूंगा ।

श्री रणधीर सिंह ने एक मेमोरियल टावर के बारे में कहा । इस के बारे में यहां पहले ही उत्तर दिया जा चुका है । वैसे तो इधर-उधर बहुत से मेमोरियल टावर्स बने हुए हैं पर हम ने इस बात का यत्न किया है कि अन्डमान में जो जेल थी और उसका सेन्ट्रल टावर था उसे भी एक मेमोरियल के रूप में रखा जाए और जितने वहां पर कैदी रखे गए थे उन के सब के नाम मेटल प्लेट्स में लिख कर रख दें जिस से कि इस बात की याद्दाश्त रहे कि कौन-कौन कितने दिनों के लिये रखे गए और किस तरह से उन्होंने देश की सेवा वहां पर की ।

जहां तक आई० एन० ए० पर्सोनेल का सवाल है, मैं ने दो-तीन दिन पहले जवाब दिया था और कहा था कि उनके प्रति भी हम वही व्यवहार करना चाहते हैं जैसे कि दूसरे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी थे । उन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है । उन के जो बच्चे हैं, सम्बन्धी हैं, उनको भी वही सुविधायें देते हैं जोकि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को देते हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि इस बहस के बाद जो भी जिस तरह की कमी रही हो उसमें सुधार आयेगा । इसके अलावा समय-समय पर हमारे पास इस तरह के जो सुझाव आते हैं हम गम्भीरता-पूर्वक उन पर विचार करते हैं और कोशिश करते हैं कि अभी तक हमारी जो कार्यवाही रही है उससे अच्छी कार्यवाही आगे हो सके ।

18.16 HRS.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday the August 9, 1968/Sravana 18, 1890 (Saka).

L36LSS/68—1-1-69—GIPF